# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :–1874/2013**

राम प्रकाश गौड़ **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता (प्रशासन) जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जल भवन जयपुर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**आदेश की दिनांक** : 25.04.2024

**उपस्थित –**

**अपीलार्थी की ओर से** : श्री सौरभ पुरोहित, अधिवक्ता,

**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)**
**शुचि शर्मा, सदस्य**

## आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी ने सिविल इंजिनियरिंग में स्नातक डिग्री प्राप्त कर रखी है। अपीलार्थी की नियुक्ति कनिष्ठ अभियंता (डिग्री सिविल) के पद पर आदेश दिनांक 02.06.1988 को हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग ने कनिष्ठ अभियंता (डिग्री सिविल) की वरियता सूची दिनांक 03.07.1991 को जारी की, जिसमें दिनांक 01.04.1991 तक की वरियता का वर्णन था। उक्त सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 219 पर था। प्रत्यर्थी विभाग ने सरकार को कनिष्ठ अभियंता के कुछ पदों को अपग्रेड कर सहायक अभियंता के पद में अपग्रेड करने के लिए प्रपोजल भेजा। सरकार द्वारा कनिष्ठ अभियंता के पद समाप्त कर उतने ही पद सहायक अभियंता के पद सृजित किये गए। वर्ष 1989 में एवं 1990 में कुल 173 पद कनिष्ठ अभियंता के अपग्रेड होकर सहायक अभियंता के पद सृजित हुए। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि जो नये पद सहायक अभियंता के सृजित हुये, वे नई रिक्तियां होना नहीं माना जा सकता है। अतः उन्हें सीधी भर्ती से भरने की आवश्यकता नहीं थी। वे पद कनिष्ठ अभियंता की पदोन्नति कर भरे जा सकते थे। अपीलार्थी की वर्किंग अरेंजमेंट सहायक अभियंता के पद पर दिनांक 31.10.1994 को किया गया। अपीलार्थी ने आगे यह तथ्य अंकित किये हैं कि सहायक अभियंताओं की वरिष्ठता सूची वर्ष 1991 के पश्चात 18 वर्षों तक जारी नहीं की गई। वर्ष 2009 में अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 11279/2009 में पारित आदेश दिनांक

22.07.2010 की पालना में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा डीपीसी आयोजित की गई एवं उसके पश्चात पदोन्नति आदेश दिनांक 01.01.2013 को जारी किया गया, जिसमें 173 अपग्रेड पदों के विरूद्ध 50 प्रतिशत कोटा सीधी भर्ती का एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति कोटे का होना मानते हुए पदोन्नति प्रदान की गई, जो गलत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि उपरोक्त आदेश गलत प्रकार से व नियम–विरूद्ध तरीके से पारित किया गया है, क्योंकि अपग्रेडेड पोस्ट का 50 प्रतिशत कोटा सीधी भर्ती से भरा जाना नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि 173 पद जो सितम्बर 1990 में सहायक अभियंता के सृजित हुये थे, वे पद कनिष्ठ अभियंता के पद समाप्त करके सृजित हुये थे। ऐसे में समस्त 173 पदों को पदोन्नति से भरा जाना चाहिए था, क्योंकि कोई नये पद सृजित नहीं हुये थे। केवलमात्र पद अपग्रेड किये गये थे।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि राज्यादेश दिनांक 12–1–1989, 5–7–1989 एवं 13–9–1990 द्वारा याचिका में उल्लेखित पदों का अपग्रेडेशन किया गया था परन्तु वर्ष 1989 व 1990 में द राजस्थान सर्विस ऑफ इन्जिनियर्स एण्ड एलाईड पोस्ट (पी.एच. ब्रान्च) नियम–1968 में उल्लेखित शिड्यूल के अनुसार सहायक अभियन्ता के पद पर वर्षवार रिक्ति को 50 प्रतिशत सीधी भर्ती के माध्यम से तथा 50 प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से भरने का प्रावधान निहित था। तद्नुसार ही 1–4–2009 से पूर्व जारी कनिष्ठ अभियन्ता की वरिष्ठता सूची के आधार पर सम्बन्धित वर्षो में नियमित डी.पी.सी. की कार्यवाही की गयी। अपग्रेड पदों पर राज्य सरकार के नोटिफिकेशन 9–12–1996 द्वारा अपग्रेड पदों को 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है । अपीलार्थी द्वारा दिनांक 1–4–2009 से पूर्व जारी की गयी कनिष्ठ अभियन्ता की वरिष्ठता सूची के आधार पर वर्ष 2001–02 तक की डीपीसी दिनांक 24–11–2001 तक आयोजित की जा चुकी थी, पर तत्समय अपीलार्थी द्वारा उच्चीकृत अपग्रेड पदों के लिये नियमित डीपीसी पर आक्षेप नहीं लिया गया है जो वर्तमान में वर्ष 2012 में लिया गया, अब वह अवधि बाधित होने से काबिलेगौर नहीं है। कनिष्ठ अभियन्ता की अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 1–4–2009 को उसमें उल्लेखित माननीय न्यायालय प्रकरणों के आधार पर जारी की गयी थी परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 1–4–2009 से पूर्व कनिष्ठ अभियन्ता सिविल की अन्तिम वरिष्ठता सूची के आधार पर वर्ष 2001–02 तक नियमित डीपीसी का आयोजन वर्ष 2001 तक कर लिया गया

था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 1–4–2009 से पूर्व की वरिष्ठता सूची के आधार पर वर्ष 2001–02 की डी.पी.सी. दिनांक 24–11–2001 को हुई थी तत्पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन प्रकरण संख्या 4025/2001 प्रदीप भारद्वाज बनाम सरकार में स्थगन आदेश दिनांक 28–11–2001 को भी जारी हुआ। अपीलार्थी ने वर्ष 1989 व 1990 में 173 पदों के अपग्रेडेशन का उल्लेख किया है, के सम्बन्ध में लेख है कि वर्ष 1989–90 में राजस्थान सर्विस ऑफ इन्जिनियर्स एण्ड ऐलाईड पोस्ट (पी.एच. ब्रान्च) नियम– 1968 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत रिव्यू डी.पी.सी. से पूर्व मूल डी.पी. सी. में जो कार्यवाही की गयी थी तदानुसार रिव्यू में भी की गई क्योंकि तत्समय अपग्रेड पदों पर 100 प्रतिशत पदोन्नति का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान दिनांक 9–12–1996 के नोटिफिकेशन द्वारा 9–12–1996 से लागू हुआ था। प्रत्यर्थी विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता सिविल से सहायक अभियन्ता सिविल के पद पर वर्ष 2002–03 से वर्ष 2012–13 तक नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 9–11–2012 को आयोजित की जाकर राज्यादेश दिनांक 1–1–2013 द्वारा पदोन्नति आदेश जारी किये गये थे। जिसमें वर्ष 2008–09 की रिक्ति के विरूद्व अपीलार्थी को पात्रता सूची में पात्र पाये जाने के कारण पदोन्नत किया गया था। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी ने वर्ष 1989 व 90 में 173 पदों के अपग्रेडेशन का उल्लेख किया है, के सम्बन्ध में लेख है कि वर्ष 1989–90 में राजस्थान सर्विस ऑफ इन्जिनियर्स एण्ड ऐलाईड पोस्ट (पीएच ब्रान्च) नियम 1968 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत रिव्यू डी.पी.सी. से पूर्व मूल डी.पी.सी. में जो कार्यवाही की गयी थी व तदानुसार रिव्यू में भी की गयी क्योंकि तत्समय अपग्रेड पदों पर 100 प्रतिशत पदोन्नति का प्रावधान नहीं था । यह प्रावधान दिनांक 9–12–1996 के नोटिफिकेशन द्वारा दिनांक 9–12–1996 से लागू हुआ था। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी ने दिनांक 1–4–2009 को जारी वरिष्ठता सूची के आधार पर की गयी रिव्यू तथा नियमित डीपीसी का उल्लेख किया है जबकि दिनांक 1–4–2009 से पूर्व जारी कनिष्ठ अभियन्ता डिग्री सिविल की वरिष्ठता सूची दिनांक 30–7–1991 के आधार पर वर्ष 2001–02 तक की गयी नियमित डी.पी.सी. जो दिनांक 24–11–2001 तक सम्पन्न हो चुकी थी, के आधार पर तत्समय आक्षेप नहीं लिया गया।

3. हमनें दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. अपीलार्थी ने जिन पदों के अपग्रेड होने का हवाला दिया है, वे वर्ष 1998–99 में अपग्रेड किये जा चुके हैं। वर्ष 1998–99 में उस समय अपग्रेड

पदों को सौ प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान परिपत्र दिनांक 09.12.1996 से लागू किया गया, जो प्रथम बार अपग्रेड पोस्टों को सौ प्रतिशत पदोन्नति से भरे जावे। वर्तमान में जिस आदेश को अपीलार्थी ने चुनौती दी है, वह आदेश दिनांक 01.01.2013 का है, जो वर्ष 2002–03 व उसके बाद के वर्षों की रिक्तियों के संबंध में है। यह पद अपग्रेड होने के काफी वर्ष बाद की है। ऐसे में इन वर्षों के लिए सौ प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा प्रत्यर्थी विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसने दिनांक 01.04.2009 से पूर्व जारी कनिष्ठ अभियंता (डिग्री सिविल) की वरियता सूची दिनांक 30.07.1991 के आधार पर वर्ष 2001–02 तक की गई नियमित डीपीसी जो दिनांक 24.11.2001 को सम्पन्न हो चूकी है। इस आधार पर हम पाते हैं कि वर्ष 2002–03 व उसके बाद की डीपीसी के लिए अपग्रेड पोस्टों को सौ प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने पर विचार नहीं किया जा सकता है।

5. परिणामस्वरूप हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य(न्यायिक)**